न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 10/2023

उनवान

1. लालजी पिता शिवराम जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
2. रामेश्वर पिता शिवराम जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
3. प्रताप पिता शिवराम जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: वादीगण

बनाम

1. सुरेश पिता धुलजी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
2. मणीलाल पिता धुलजी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
3. प्रकाश पिता धुलजी जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
4. वासुदेव पिता हिम्मतराम जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
5. तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188—88—209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. (व्यवहार प्रकिया संहिता)

निर्णय

दिनांकः 21.5.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि वादीया एंव प्रतिवादीगण के मध्य धारा 188—88—209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद विचाराधीन है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 04 की ओर से आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होकर प्रकरण में वादीगण के पिता शिवराम द्वारा दिनांक 19.6.1967 को वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम विकय कर दी जाना तथा उक्त विकय की गई वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 23.3.1969 को प्रतिवादीगण के पिता धुलजी के नाम दर्ज होना तथा वादीगण के पिता के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार द्वारा आबादी में रूपान्तरण करवाया जाने पर उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत पालोदा के नाम आबादी में दर्ज हुई। तथा उक्त वादग्रस्त भूमि आबादी में दर्ज होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नही होना अवगत कराया। वादी संख्या 01 व 04 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र की नकल वादी अभिभाषक को दिलाई गई। वादी अभिभाषक द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना—पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया कि वादीगण के सेटलमेंन्ट की खाते की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 3511 रकबा 15 बिस्वा व सर्वे नम्बर 3546 रकबा 01 बिस्वा की कृषि भूमि के नये नम्बर कमशः 6899 व 6884 बने हुवे है तथा उक्त कृषि भूमि पर वादीगण काबिज हे तथा वादीगण के कब्जेशुदा वादग्रस्त भूमि खतौनी में दर्ज नही होने से वाद प्रस्तुत हुआ। श्री शिवराम ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि का बैचान नही किया जाना तथा उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होना एंव वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में भी वादीगण का ही आधिपत्य होना तथा वादग्रस्त कुषि भूमि आज भी कृषि के रूप में वादीगण द्वारा उपयोग उपभोग किया जाना एंव एक्त वादग्रस्त भूमि आबादी में रूपान्तरित नही होना अवगत करातें हुऐ प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना—पत्र गैर कानुनी होने से काबिल निरस्त [illegible] किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या [illegible] प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] वादी अभिभाषक व प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

प्रकरण में प्रस्तुत वाद, अन्य अभिलेख यथा जमाबन्दी सन् 1984 से [illegible] की छाया प्रति, खतौनी सेटलमेंन्ट डिपार्टमेंन्ट सन् 1939—40 की छाया प्रति तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 04 की ओर से प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना—पत्र, प्रार्थना—पत्र के संलग्न प्रस्तुत दिनांक 22.3.1969 के नामान्तरकरण की छाया प्रति, जमाबन्दी सवंत 2028 से 2031 की छाया प्रति, विकय—पत्र की छाया प्रति एंव वादीगण की ओर से प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रार्थना—पत्र का जवाब आदि का संक्षिप्त अवलोकन एंव अभिभाषकगण की बहस पर मनन् किया जाने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादग्रस्त भूमि के मूल भू—धारक अर्थात वादीगण के पिता श्री शिवराम द्वारा दिनांक 19.6.1967 को स्वंय की खातेदारी के

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

सर्वे नम्बर 3511 रकबा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के पिता श्री धुलजी के नाम जरिये पंजीकृत विकय–पत्र बैचान की जाने तथा उक्त वादग्रस्त बैचान की गई भूमि का दिनांक 22.3.1969 को केता धुलजी अर्थात प्रतिवादीगण के पिता के नाम नामान्तरकरण दर्ज होकर कालान्तर में वादग्रस्त भूमि आबादी प्रयोजनार्थ रूपान्तरति होकर ग्राम पालोदा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 1659 (नया) 1 (पुराना) के सर्वे नम्बर 6899 ग्राम पंचायत पालोदा के नाम **किस्म–आबादी** दर्ज रिकार्ड होने एंव ग्राम पालोदा की खाता संख्या 1016 (नया) 905 (पुराना) के सर्वे नम्बर 6884 रकबा 0.11 हे0 भूमि माणकलाल पिता पन्नालाल के नाम **किस्म–आबादी** दर्ज रिकार्ड होने से प्रतिवादी संख्या 01 व 04 की ओर से प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र पौषणिय होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक २4.5.2024 को सुनाया गया।

(अन्जू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested

21.5.24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक की बहस अनुसार प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 (11) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जावे।

ह./

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:13 IST
Reason: SelfAttested